राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9331/2014

अखिल कुमार पंचोली पुत्र श्री कृष्ण चंद्र शर्मा, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी दीनदयाल पार्क के पास, जय प्रकाश कॉलोनी बारा, जिला बारा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य प्राथमिक शिक्षा विभाग, जयपुर राजस्थान के माध्यम से।

2. लेखा सलाहकार, प्राथमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, राजस्थान।

3. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सह ब्लॉक प्राथमिक अधिकारी, पंचायत समिति बारा, जिला बारा, राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री राजेश चौधरी

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री ललित पारीक

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

10/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 29.10.2014 के एक आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार यह घोषित किया गया था कि वर्ष 1982 में उनके द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र (संक्षेप में एनटीसी) प्रशिक्षण बेसिक स्कूल शिक्षण प्रमाण पत्र/स्कूल शिक्षण प्रमाण पत्र (संक्षेप में बीएसटीसी/एसटीसी) के समतुल्य नहीं है, क्योंकि मान्यता वर्ष 1984 में प्रदान की गई थी। इसलिए, उन्हें दी गई वेतन वृद्धि और चयन ग्रेड अवैध थे। इसलिए वह प्रतिवादी विभाग को ब्याज सहित 12,86,637/- रुपये वापस करने के लिए उत्तरदायी है।

2. रिट याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 19.04.1984 के आदेश के अनुसार शिक्षक के पद पर अस्थायी नियुक्ति के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका प्रारंभिक वेतनमान 490-10-550-15-640-20-840 था। दिनांक 23.06.1988 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि दिनांक 01.07.1984 से की गई।

2.1 राज्य सरकार ने दिनांक 08.11.1979 के आदेश के अनुसार घोषित किया कि माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन के लिए एनटीसी एक वैध प्रमाण पत्र है। उक्त आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रतिवादी विभाग को प्रस्तुत किया।

2.2 प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 29.10.2014 को एक आदेश जारी कर घोषित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त एनटीसी प्रशिक्षण वर्ष 1982 में

था। एनटीसी प्रशिक्षण को वर्ष 1984 में बीएसटीसी/एसटीसी के समकक्ष मान्यता दी गई। इसलिए याचिकाकर्ता को दी गई वेतन वृद्धि और चयन ग्रेड गलत तरीके से दी गई। इसलिए यह रिट याचिका।

3. याचिकाकर्ता का मामला वास्तव में प्रतिवादियों की ओर से पैरा 7 में दायर जवाब में लिए गए रुख से स्पष्ट होता है, जो उपयुक्त होने के कारण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **7. इस पैराग्राफ में किए गए कथनों के जवाब में यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार ने दिनांक 06.03.1984 के आदेश द्वारा एनटीसी को बीएसटीसी के समकक्ष मान्यता दी थी, जिसे दिनांक 01.07.1985 के आदेश द्वारा संशोधित कर मान्यता को केवल शिल्प विषयों को पढ़ाने तक सीमित कर दिया गया था। इसके अलावा, दिनांक 06.11.1985 के आदेश द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एनटीसी की योग्यता को अमान्य कर दिया गया था। विभाग ने निदेशालय तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर के दिनांक 18.09.1991 के पत्र की गलत व्याख्या करते हुए नियमित वेतन के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें केवल यह उल्लेख किया गया है कि प्रमाण पत्र सत्य है और संबंधित परीक्षा लेने के बाद जारी किया गया है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह एसटीसी के समकक्ष है।**

4. उपरोक्त से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की कोई गलत बयानी या छिपाव नहीं किया गया है, जिसके कारण उसे उसके योग्य वेतन से अधिक वेतन दिया गया है। यह गलती

विभाग की ओर से हुई है और याचिकाकर्ता ने विभाग को गुमराह नहीं किया है या किसी भी तरह से खुद को उससे अधिक वेतन दिलाने में योगदान नहीं दिया है, जिसका उसे भुगतान किया जाना चाहिए था। उस संदर्भ में, पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य: (2015) 4 एससीसी 334 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो बाद में थॉमस डैनियल बनाम केरल राज्य और अन्य: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 536 में आया।

5. याचिकाकर्ता का मामला रफीक मसीह (सुप्रा) के मामले में बताए गए मापदंडों द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "18. उन सभी कठिनाई की स्थितियों की कल्पना करना संभव नहीं है जो वसूली के मुद्दे पर कर्मचारियों को नियंत्रित करेंगी, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान किया गया है। जैसा भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें नियोक्ता द्वारा वसूली कानून में अनुमेय नहीं होगी:
>
> (i) श्रेणी III और श्रेणी IV सेवा (या समूह C और समूह D सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।
>
> (ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
>
> (iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली, जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसे तदनुसार भुगतान किया जाता है, भले ही उसे उचित रूप से निम्न पद के विरुद्ध काम करने की आवश्यकता होती।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।

6. उपरोक्त के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि याचिकाकर्ता का मामला रफीक मसीह में दिए गए निर्णय के अंतर्गत आता है।

7. उत्तर में या अन्यथा इस बात का कोई खंडन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से दिया गया लाभ 30 वर्षों तक चला। ऐसा होने पर, यह अवधि स्पष्ट रूप से 5 वर्ष से अधिक है, जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 18 के उप-खंड (ii) में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की ओर से अपने हकदार से अधिक वेतन पाने में किसी भी प्रकार की कोई गलत बयानी या/या छिपाव नहीं किया गया। यदि कोई गलती हुई है, तो वह विभाग की ओर से हुई है। रफीक मसीह (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात को देखते हुए, आरोपित आदेश संधारणीय नहीं है।

8. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। दिनांक 29.10.2014 का विवादित आदेश (अनुलग्नक-6) आगामी परिणामों सहित अपास्त किया जाता है।

9. यदि कोई लंबित आवेदन है, तो उसका निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।